CHHATTISGARH STATE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY (CREDA)
(Deptt. of Energy, Govt. of Chhattisgarh)
V.I.P. (Airport) Road, Near Energy Education Park, P.O. Deopuri, RAIPUR - 492 015 (C.G.)
Tel.: 83700 09915, 83700 09923 • **E-mail:** contact.creda@gov.in • **Website:** www.creda.co.in

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक...11793.../क्रेडा/HOR/RE-II/O&M/F-752/2021-21 दिनांक: 05/03/21

प्रति,

M/s Sova Power,
9th Floor, Block No. BG-8, AA-IB
New Town, Kolkata 700156, West Bengal

विषय:-क्रेडा की मार्केट मोड योजनांतर्गत स्थापित सौर संयंत्र के वारंटी अनुबंधो का पालन नहीं किए जाने के कारण प्रतिबंध बाबत्।

संदर्भ:-1. क्रेडा प्रधान कार्यालय का पत्र क्रमांक 13896 दिनांक 12.01.2021
2. इकाई मेसर्स कॉस्मो प्रोडक्ट्स का पत्र क्रमांक निरक दिनांक 22.02.21
3. NCPRE, IIT Mumbai द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट।

विषयांतर्गत लेख है कि M/s Cosmo Products, Raipur द्वारा जिला राजनांदगांव अंतर्गत छत्तीसगढ़ डेंटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित 100 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। उक्त संयंत्र के इकाई द्वारा सोवा मेक क्षमता 250 वॉट के सोलर मॉड्यूलों की स्थापना की गई थी। तत्कालीन समय के वारंटी अनुबंधों अनुसार सोलर मॉड्यूलों का क्षरण 10 वर्ष में Rated Power का 10 प्रतिशत् से अधिक नहीं होना चाहिए था किन्तु आपके प्रदायित सोलर मॉड्यूलों का Degradation NCPRE Mumbai द्वारा जांच रिपोर्ट में 33 प्रतिशत् से अधिक पाया गया है। अत: कार्यादेश तथा अनुदान स्वीकृति एवं सोलर मॉड्यूलों के तकनीकि विन्यास अनुसार स्थापित सोलर मॉड्यूलों का क्षरण मानक स्तर से अधिक पाया गया है।

अत: NCPRE द्वारा की उक्त रिपोर्ट के परिपालन में आपको संदर्भित पत्र के माध्यम से संयंत्र के सोलर मॉड्यूलों को बदलकर संयंत्र को कार्यशील किये जाने हेतु दिनांक 27.01.2021 तक का समय दिया गया है किन्तु अत्यंद खेद का विषय है कि आपके द्वारा संयंत्र में समुचित सुधार हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपके उक्त कृत्य से क्रेडा की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अत: हितग्राही/इकाई से प्राप्त शिकायत/सूचना तथा NCPRE द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं स्थापनाकर्ता इकाई से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वारंटी अनुबंधो के अवहेलना के कारण आपकी कंपनी का क्रेडा में वेण्डर पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर आपको काली सूची में डाला जाता है तथा भविष्य में क्रेडा की किसी भी परियोजना में सोवा मेक के सोलर मॉड्यूलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है।

सूचनार्थ प्रेषित्।

(संजीव जैन)
मुख्य अभियंता (RE-II)

निरंतर........

क्रमांक..17794...../क्रेडा/HOR/RE-II/O&M/F-752/2021-21 दिनांक: 05 /03/21

प्रतिलिपि:-

1. नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार, सी.जी.ओ काम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, (RE-III) & (RE-IV) क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, (RE-VI) क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं इकाई का पंजीकरण निरस्त करने के कार्यवाही के निर्देश सहित।
4. अधीक्षण अभियंता क्रेडा जोनल कार्यालय रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/जगदलपुर को सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर/राजनांदगांव/रायगढ़/सरगुजा/जगदलपुर/दंतेवाड़ा को सूचनार्थ।
6. सहायक अभियंता, क्रेडा जिला कार्यालय, क्रेडा जिला कार्यालय रायपुर/महासमुंद/गरियाबंद/बलौदाबाजार/धमतरी/बालोद/कांकेर/बस्तर/कोण्डागॉव/दंतेवाड़ा/सुकमा/बीजापुर/नारायणपुर/कबीरधाम/राजनांदगॉव/बेमेतरा/दुर्ग/बिलासपुर/मुंगेली/कोरबा/गौरेला-पैण्ड्रा-मरवाही/सरगुजा/सूरजपुर/बलरामपुर/कोरिया/जशपुर/रायगढ/जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. श्री बेन्नी (कम्प्यूटर प्रोग्रामर) क्रेडा प्रधान कार्यालय को सूचनार्थ एवं क्रेडा के वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियंता (RE-II)